2024/200

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

मजं अदालत– .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थीः– मनोहरी देवी पत्नी चेनाराम पुत्री कानाराम जाति माली निवासी खाटू खुर्द हाल निवासी किशनपुरा तहसील छोटी खाटु, जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– कानाराम पुत्र नानुराम जाति माली निवासी छोटी खाटु तहसील छोटी खाटु, जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान वगैरा।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...84/2024 सन्–2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
11.06.2024	प्रार्थी मनोहरी देवी पत्नी चेनाराम पुत्री कानाराम जाति माली निवासी खाटू खुर्द हाल निवासी किशनपुरा तहसील छोटी खाटु, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण कानाराम पुत्र नानुराम जाति माली निवासी छोटी खाटु तहसील छोटी खाटु, जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान वगैरा के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद कोनियाड़ा, पटवार हल्का–पावा के खसरा नम्बर 549/144, 550/144, 551/144, 548/144 की भूमि में राजस्व रेकर्ड यथास्थिति बनाये रखें व किसी प्रकार का बैचाण नही करें। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। **नोट :–** 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनाँक 18.07.2024 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	
17/6/2024	प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हो [illegible] प्रार्थिनी तथा उसके अधिवक्ता उपस्थित [illegible] प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन [illegible] करार के मध्य राजीनामा हो जाने [illegible] वह प्रकरण को [illegible] नहीं चाहती है इसलिए प्रार्थना पत्र नोट [illegible]	

प्रार्थिया अपने प्रार्थना [illegible] रही है अतः दावा
खारिज प्रार्थिया हस्तगत प्रकरण नोट [illegible] खारिज किया जाता है
पत्रावली अपने नम्बर से खारिज कर शामिल दफ्तर हो।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:16:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner